कार्यालय प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा जिला – सुकमा

Phone no:- 07864-299155,Email ID- emrssukma2022@gmail.com,Udise Code:- 22210204046
CBSE Affiliation No:- 3320279, School Code:- 17309, Website:- www.emrssukma.in

–:::निविदा सूचना:::–

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा/कोंटा/छिंदगढ़, जिला सुकमा के संचालन हेतु सत्र 2025–26 हेतु पंजीकृत फर्मो/आपूर्ति कर्ताओं से सील बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा फार्म क्रय करने की तिथि – 23.07.2025 से 07.08.2025 तक समय संध्या 04:00 बजे तक।
निविदा फार्म जमा करने की तिथि – 09.08.2025 समय संध्या 04:00 बजे तक।
निविदा खोलने की तिथि – 11.08.2025 समय प्रातः 10:30 बजे से।

क्र0	सामग्री का नाम	अमानत राशि / सुरक्षा निधि
1	खाद्य सामग्री	220000.00
2	दैनिक उपयोग की सामग्री	22000.00
3	सब्जी सामग्री	22000.00
4	फल सामग्री	22000.00
5	स्टेशनरी सामग्री	28000.00
6	बाल कटिंग	5000.00
7	बेकरी एवं स्वीट	22000.00
8	दवाई सामग्री	12000.00

उपरोक्तानुसार निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी, निविदा फार्म, नियम शर्तें इत्यादि विद्यालय की वेबसाइट www.emrssukma.in से निविदा फार्म डाउनलोड कर निविदा फार्म के मूल्य 500/– रूपये के डिमांड ड्राफ्ट (नोटः– **प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा** के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनेगा) को सम्मिलित करते हुए अथवा कार्यालय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा में कार्यालयीन अवधि में राशि **रूपये 500/– रूपये के डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत कर** प्राप्त की जा सकती है एवं **पूर्ण रूपेण भरी हुई मुहरबंद निविदा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा** के कार्यालय में **दिनांक 09.08.2025 को समय सायं 04:00 बजे तक Technical Bid and Financial Bid अलग–अलग लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से अलग–अलग भेजना अनिवार्य है।** प्राप्त निविदाएं दिनांक 11.08.2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे क्रय समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

निविदा की शर्तें निम्नानुसार है :–

01. संलग्न प्रपत्र में अंकित वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति हेतु **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा/कोंटा/छिंदगढ़ की जिला समिति एवं विद्यालय क्रय समिति, जिला सुकमा (छ.ग.) की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 09.08.2025 को शाम 04:00 बजे तक दो अलग–अलग लिफाफा पद्धति (प्रथम लिफाफा तकनीकी एवं द्वितीय लिफाफा वित्तीय) के माध्यम से सील बंद निविदाएं इस कार्यालय में पंजीकृत (रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट) डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है।** भाव पत्र अच्छी तरह सीलबंद हो, जिसके ऊपर निविदा (जिस सामग्री हेतु निविदा भरी जा रही हो उसका नाम) स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। प्राप्त सीलबंद निविदाएं कार्यालय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा में दिनांक **11.08.2025 को समय प्रातः 10:30 बजे** क्रय समिति एवं उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा जिसमें निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि का (अधिकृत पत्र के साथ) नमूना प्रदर्शित करते समय उपस्थित होना अनिवार्य है। नमूना दिखाने के समय अनुपस्थित होने पर निविदादाता की निविदा निरस्त समझी जाएगी।

02. **निविदा दो अलग–अलग लिफाफा पद्धति के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।** प्रथम लिफाफा तकनीकी बोली का होगा जिसमें वांछित दस्तावेज तथा निर्धारित अमानत राशि/सुरक्षा निधि का डिमाण्ड ड्राफ्ट, निविदा दाता का निविदा की समस्त शर्तों के स्वीकार होने संबंधी घोषणा पत्र होगा। द्वितीय लिफाफा वित्तीय बोली का होगा। तकनीकी बोली का लिफाफा मान्य होने पर ही वित्तीय बोली का लिफाफा खोला जाएगा।

03. **निविदा दर सूची में मांगी गई वजन/ब्राण्ड/मात्रा के अनुसार ही दर भरें।** अपनी ओर से मात्रा, वजन, ब्राण्ड में संशोधन किये जाने से उन्हें तुलनात्मक पत्रक में शामिल नहीं किया जा सकेगा व अमान्य कर दिया जाएगा।

04. निविदा दरें विषयांकित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोंटा, कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालाटिकरा छिंदगढ, जिला सुकमा एफ0ओ0आर0 साथ में वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) तथा स्थानीय कर आदि सम्मिलित होना चाहिये एंव सामग्री निर्धारित संस्था में पहुंचा कर देना होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

05. खरीदी गयी सामग्री का भुगतान केवल PFMS के माध्यम से ही किया जायेगा। निविदादाता को वार्षिक कुल भुगतान राशि रूपये 2,50,000.00/– से अधिक होने पर प्रत्येक भुगतान के समय जी.एस.टी.–टीडीएस टैक्स नियमानुसार कटौती की जायेगी।

06. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा/कोंटा/छिंदगढ की जिला समिति एवं क्रय समिति न्यूनतम दरें स्वीकृत करने को बाध्य नहीं है और अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने या न करने का अधिकार प्राप्त है।

07. **दरें बाजार मूल्य से अधिक ज्ञात होने पर क्रय समिति सामग्री के मूल्यों पर सौदेबाजी (नेगोशियेशन) हेतु सभी सफल निविदादाताओं को बुला सकती है और सभी सफल निविदादाताओं को भाग लेना अनिवार्य होगा, सौदेबाजी में भाग न लेने वाले निविदादाता की निविदा अस्वीकृत की जा सकती हैं।**

08. निविदादाता द्वारा दर्शाए गए दुकान/फर्म का पता स्पष्ट होना चाहिए। देखा जाता है कि निविदादाता दुकान का रजिस्ट्रेशन करवा के निविदा प्राप्त कर लेता है लेकिन वास्तव में उसकी कोई दुकान या फर्म नहीं होती है। **दुकान/फर्म न होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।**

09. **निविदादाता को टेण्डर फार्म एवं वचन पत्र में केवल स्वयं के नाम का वैध मेल आई.डी. एवं व्हाट्सएप नंबर दर्शाना अनिवार्य है। सभी प्रकार का पत्राचार एवं आपूर्ति आदेश ई–मेल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से ही किया जाएगा। अतः केवल फर्म के नाम या फर्म के मालिक के नाम का वैध ई–मेल आई.डी. होना अनिवार्य है। वैध ई–मेल आई.डी. न होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।**

10. **निविदादाता द्वारा दर्शाए गए दुकान/फर्म के पता का प्रमाण पत्र निविदादाता के स्वयं के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

11. **दोनों सीलबंद अलग–अलग लिफाफों पर सामग्री आपूर्तिकर्ता का नाम अंकित करें, साथ में अमानत राशि का डी.डी नम्बर व अमानत राशि स्पष्ट रूप से लिखें। निविदा फार्म ऑनलाइन डाउनलोड करने की स्थिति में निविदा फार्म क्रय मूल्य 500/– रूपये की डी.डी. नम्बर भी लिखना अनिवार्य होगा। नहीं लिखे होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।**

12. निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि समस्त सामग्रियों का मूल्य भरा जाये अन्यथा अस्वीकार किया जा सकता है। एम.आर.पी. में छूट वाली सामग्री में प्रतिशत Round Off भी लिखा जाये।

13. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता का क्रेता संस्था से एक अनुबंध होगा और निविदादाता निविदा में दी गई शर्तों, सामान्य वित्तीय नियमों एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा/कोंटा/छिंदगढ़ की जिला समिति एवं विद्यालय क्रय समिति, जिला सुकमा (छ.ग.), के नियम व शर्तों के पालन हेतु बाध्य होगा और जी0एफ0आर0 का पालन अनिवार्य होगा।

14. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ निर्धारित अमानत राशि (ई0एम0डी0) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि **प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा**, जिला सुकमा के पक्ष में देय होगा, अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। यह अमानत राशि बाद में निविदा अस्वीकृत होने पर या स्वीकृत होने पर अनुबंध की निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर वापस कर दी जाएगी। **अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर यह अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।**
15. यदि निविदादाता निर्धारित समय में सामग्री आपूर्ति करने में असफल होता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता बाजार से क्रय करने और शेष अनुबंध दूसरे फर्म से पूरा करने के लिए स्वतंत्र है, तथा अंतर राशि को जमा अमानत/सुरक्षा राशि अथवा भुगतान से काटने हेतु स्वतंत्र है। शेष राशि उसे वापस कर दी जाएगी। अंतर राशि अधिक होने पर निविदा दाता द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को भुगतान करना होगा। यदि दोबारा आपूर्ति समय एवं मांग अनुसार सामग्री आपूर्ति नहीं की जाती है तो अमानत राशि/सुरक्षा निधि राजसात् कर फर्म को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाएगी। एक बार अवसर देने के बाद दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा।
16. सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ायी जा सकती है।
17. सामान्यतः बिल प्राप्ति के उपरान्त कम से कम भुगतान में 15 से 45 दिनों का समय लग सकता है। इसके पूर्व किसी तरह का दबाव मान्य नहीं होगा। विद्यालय में फण्ड उपलब्ध न होने की स्थिति में इससे अधिक समय भी लग सकता है। फण्ड उपलब्ध होने की दशा में भुगतान दिये गये अवधि से पहले भी की जा सकती है। निविदादाताओं को विद्यालय को सामग्री के साथ ही बिल उपलब्ध कराना होगा एवं विलम्ब होने की स्थिति में भुगतान में होने वाली देरी की जिम्मेदारी निविदा दाताओं की होगी।
18. नमूना निविदा खुलने के दिन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा बिना नमूना के निविदा निरस्त कर दी जाएगी। नमूने के अनुमोदन पश्चात क्रय समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर उपरांत उसे सीलबंदी कर दिया जाएगा। निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच जमा किये गये नमूना से मिलान कर किया जायेगा। यदि दोनों में अंतर पाया जाता है तो उसे वापस कर दिया जायेगा और उसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित प्रदायकर्ता से की जाएगी।
19. **निविदा दरें 30 अप्रैल 2026 तक अथवा नवीन निविदा होने तक मान्य होंगी।** ब्राण्डेड सामग्री के साथ पैकेट में यदि कोई निःशुल्क उपहार योजना है, तो उसे निविदादाता को सामग्री के साथ निःशुल्क देना होगा और उसे बिल में भी अंकित करना होगा।
20. प्रत्येक वस्तु एवं कार्यों के लिए तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली का अलग–अलग लिफाफा अमानत राशि एवं वांछित अभिलेख के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य होगा।
21. निविदादाता को वांछित सामग्रियों का नमूना प्रदर्शन निविदा खुलने के समय स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से लाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना नमूना के निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। सामग्री का नमूना निविदादाता को बिना भुगतान के जमा करना होगा एवं निविदा खुलने के स्थान तक आवश्यकतानुसार पहुंचाना होगा एवं स्वीकृत नमूना वापस नहीं किये जायेगे।
22. निविदा प्रपत्र के साथ तकनीकी लिफाफे मे निम्न प्रमाण पत्र (जो कि स्वहस्ताक्षरित हो) संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

- जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं 06 माह के भीतर की जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति। (जिसमें कोई बकाया अंकित न हो)।
- फर्म/कम्पनी/संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 का आयकर प्रमाण पत्र।
- अमानत राशि/सुरक्षा निधि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा के पक्ष में हो।
- यदि निविदा ऑनलाइन डाउनलोड माध्यम से क्रय किया है तो रूपये 500/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट।

- निविदाकार यदि किसी वस्तु का अधिकृत विक्रेता है तो सक्षम स्तर पर जारी पंजीयन प्रमाण पत्र।
- फर्म/कम्पनी/संस्थान/व्यक्ति/साझेदार का पहचान प्रमाण–पत्र।
- पैन कार्ड की छायाप्रति।
- फर्म अथवा कम्पनी के पंजीकरण के समय जी.एस.टी. विभाग को आवेदित फर्म के व्यवसाय से संबंधित एच.एस.एन. कोड संबंधी प्रमाण–पत्र।
- निविदा संबंधी समस्त शर्तों के स्वीकार होने के संबंध में शपथ पत्र।
- फर्म का निरस्त किया हुआ चेक।

  नोट :– निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं सामग्री सूची क्रय करने हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक **07.08.2025** तक के मान्य होंगे।

23. सब्जी, फल, बेकरी, बाल कटिंग इत्यादि में जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य नहीं है। किन्तु जी0एस0टी0 वाले फर्म से प्राप्त प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जायेगी।
24. निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित है।
25. निविदादाता द्वारा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार एवं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने अथवा अराजकता फैलाने पर निविदादाता को काली सूची में डालते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी एवं आगामी दो वर्षों के लिए एकलव्य विद्यालय में निविदा आवेदन करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
26. संस्था व छात्र हित को देखते हुए किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निविदा हेतु गठित क्रय समिति एवं कलेक्टर महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

सदस्य सचिव
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला
समिति, जिला–सुकमा (छ0ग0)